फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती धनकी **विपक्षी : पटवारी**

किस्म मुकदमा – 131 भू.रा. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 148/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	नोट
	दिनांक : 19.10.2023 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजपेरोकार उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब अनुसार तरमीम किया जाने पर सहमति व्यक्त की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 1543/3 रकबा 0.6475 हेक्टेयर भूमि मूल पुरूष देवला पिता भेरा को वर्ष 1977 में आंवटन हुई थी। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में गलत तरमीम हो चुकी हैं, जिसे प्रार्थीगण द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसमें तहसीलदार मावली द्वारा वर्तमान में राजस्व नक्शें में तरमीम को गलत बताया है। तहसीलदार मावली द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि मुल पुरूष देवला पिता भेरा को वर्ष 1977 में आंवटन हुई थी। देवला पिता भेरा के देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि देवला के वारिस भोलीराम, प्यारीबाई, मोतीबाई, सोहनीबाई पिता देवा एवं धनकी पत्नी देवा के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीगण का कब्जा वर्तमान में आराजी नम्बर 1541/3 एवं 1542/3 के मध्य होना बताकर नक्शा प्रस्तावित किया है एवं इसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने की अनुशंषा की गई हैं। अतः प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्रस्तावित नक्शें अनुसार कब्जे के आधार पर नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायाहित में उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 1543/3 रकबा 0.6475 हेक्टेयर गैर खातेदारी भूमि को राजस्व नक्शें में प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित तरमीम अनुसार नक्शें में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2023.10.31 17:30:05 IST Reason: SelfAttested	